अनुदान संख्या 40 - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
GRANT No. 40 - INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged-*				
मूल	*Original*	*64,48,00*			
			71,87,00	*68,92,93*	*-2,94,07*
पूरक	*Supplementary*	*7,39,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	2015,47,00			
			2186,62,00	2176,87,90	-9,74,10
पूरक	Supplementary	171,15,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	10,20,00			
			18,35,00	18,33,69	-1,31
पूरक	Supplementary	8,15,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (₹*294.07 लाख*) मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹*739.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 40 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 4 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹*294.07 lakhs*) constituted 40 percent of the supplementary *appropriation* of ₹*739.00 lakhs* obtained in March, 2011 and 4 percent of the total sanctioned *appropriation*.

Saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2016"	Major Head "2016"				
लेखा परीक्षा	Audit				
मू.	*O.*	*6448.00*	*7187.00*	*6892.93*	*-294.07*
पू.	*S.*	*739.00*			

(I) "भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक - यू.एन. लेखापरीक्षा इकाई" के अंतर्गत ₹*293.00 लाख* के मूल *विनियोग* को ₹*137.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर ₹*430.00 लाख* कर दिया गया। तथापि, ₹*259.56 लाख* की बचत (पूरक *विनियोग* सहित) विदेश मंत्रालय से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Under "Comptroller and Auditor General of India – U.N. Audit Unit" – the original *appropriation* of ₹*293.00 lakhs* was augmented to ₹*430.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of ₹*137.00 lakhs*. However, there was a saving of ₹*259.56 lakhs* (including supplementary *appropriation*) – due to non-receipt of bills from the Ministry of External Affairs.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

मुख्य शीर्ष "2016"	Major Head "2016"				
लेखा परीक्षा	Audit				
मू.	O.	201547.00	218662.00	217687.90	-974.10
पू.	S.	17115.00			

(I) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2011 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(I) Supplementary grant obtained in March, 2011 under the following heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) "सिविल लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय - सिविल लेखा परीक्षा कार्यालय"- ₹97056.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4964.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹102020.00 लाख कर दिया गया, जो तथापि, चिकित्सा दावे प्रस्तुत न किए जाने, यात्रा दावों का पुरानी दरों पर निपटान किए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा न किए जाने के कारण ₹1696.74 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Civil Audit and Accounts Offices – Civil Audit Offices" - the original provision of ₹97056.00 lakhs was augmented to ₹102020.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4964.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1696.74 lakhs – due to non-submission of medical claims, settlement of travel claims at old rates and non-completion of work by Central Public Works Department.

(खा) "समुद्रपार लेखापरीक्षा कार्यालय" - ₹1226.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹299.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1525.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, कर्मचारियों की देर से तैनाती किए जाने और चिकित्सा बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण ₹137.25 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Overseas Audit Offices" – the original provision of ₹1226.00 lakhs was augmented to ₹1525.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹299.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹137.25 lakhs - due to delayed posting of staff and non-submission of medical bills.

3.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3.(I) The above savings were partly offset by excess under the following heads:-

(का) "रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय" - ₹499.60 लाख का अधिक व्यय (₹11519.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम की बकाया राशि की अदायगी, नए खोले गए कार्यालयों में आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालकों को काम पर रखे जाने, विद्युत/जल प्रभारों में वृद्धि होने और माडुलर फर्नीचर की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) "Railway Audit Offices" - excess of ₹499.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11519.10 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of modified assured career progression scheme arrears, hiring of data entry operators in newly opened offices, increase in electricity/water charges and purchase of modular furniture.

(खा) "रक्षा लेखा परीक्षा कार्यालय" - ₹130.99 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹150.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹4273.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम की बकाया राशि की अदायगी, दैनिक मजदूरी की दरों में संशोधन, विद्युत और जल प्रभारों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) "Defence Audit Offices" - excess of ₹130.99 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4273.00 lakhs including supplementary grant of ₹150.00 lakhs obtained in March, 2011) was due to requirement of additional funds towards payment of modified assured career progression scheme arrears, revision of daily wages rates, increase in electricity and water charges.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹94.90 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of ₹94.90 lakhs occurred constituting 18 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	760.00			
			526.20	524.90	-1.30
पु.	R.	-233.80			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O	260.00			
पू.	S.	815.00	1308.80	1308.79	-0.01
पु.	R.	233.80			

(I) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय- तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत ₹235.10 लाख की बचत (₹760.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान द्वारा भूमि की दरों में अधोमुखी संशोधन होने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4059" – "Office Buildings – Other Expenditure – Acquisition of ready built Accommodation" – saving of ₹235.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹760.00 lakhs) was due to downward revision of land rates by Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO), Rajasthan.

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास स्कीमें - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹233.79 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹815.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1075.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अहमदाबाद में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारियों के लिए मकानों और गोवा में रिहायशी फ्लैटों के निर्माण के लिए भूमि की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Housing Schemes for employees of IA&AD – Acquisition of ready built flats" - excess of ₹233.79 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1075.00 lakhs including supplementary grant of ₹815.00 lakhs obtained in March, 2011) was due to requirement of additional funds towards purchase of land for constructing houses for Indian Audit and Accounts Department officers at Ahmedabad and residential flats in Goa.